सत्यमेव जयते	भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी – II) उत्तर प्रदेश , प्रयागराज **Indian Audit and Accounts Department** **Office of the Accountant General (A&E-II)** **Uttar Pradesh, Prayagraj**	Dedicated to Truth in Public Interest

पत्रांक:ले.ह.-ii//नि.स.(प्र.)/ग्रुप-ii/परिपत्र/242/TRMO 622 दिनांक:-29-08-2024

सेवा में,

समस्त खंडीय लेखाकार/लेखाधिकारी
संबन्धित खंड

विषय:- रेमिटेन्स अवशेषों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

मुख्यालय द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में रेमिटेन्स(प्रेषण) शीर्ष के अंतर्गत लो.नि.वि., सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, भूगर्भ जल एवं लघु सिंचाई विभागों के खंडों में लंबित अवशेषों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा विभिन्न उपक्रम किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में कोषागार कार्यालय के अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि के फलस्वरूप असमायोजित प्रेषण शीर्ष-1 एवं शीर्ष-2 की धनराशि के निस्तारण हेतु एक जनपद में रेमिटेन्स विभागों के अंतर्गत समस्त खंडों एवं कोषागार कार्यालय के मध्य मिलान की कार्यवाही की जानी है।

उक्त प्रयोजन हेतु प्रत्येक जनपद में प्रांतीय खंड लो.नि.वि. के व.खंडीय लेखाधिकारी/ खंडीय लेखाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका यह दायित्व होगा कि अपने जनपद के अंतर्गत आने वाले समस्त रेमिटेन्स खंडों से संपर्क कर उनके अभिलेखों का मिलान सुनिश्चित करवाएँ।

प्रत्येक जनपद के अन्य रेमिटेन्स खंडों (प्रांतीय खंड लो.नि.वि. के अतिरिक्त) के खंडीय लेखाकारों/लेखाधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने खंडों के अभिलेखों का मिलान उपरोक्तानुसार नामित नोडल अधिकारी के नेतृत्व में सुनिश्चित करें एवं इस प्रकार हुए निस्तारण को माह अगस्त 2024 के लेखे के साथ प्रेषित करवाएँ। उपरोक्तानुसार मिलान के पश्चात यदि कोई त्रुटि नहीं मिलती तो इस आशय का एक प्रमाण पत्र अपने अपने प्रपत्र 51 के साथ संबन्धित अनुभाग को प्रेषित करें।

भवदीय

Signed by Ram Suresh Tiwari
Date: 29-08-2024 14:18:29
वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.स. (प्र)

पत्रांक:ले.ह.-ii//नि.स.(प्र.)/ग्रुप-ii/परिपत्र दिनांक:-

प्रतिलिपि:- संबन्धित अधिशासी अभियंता को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रयोजन हेतु खंडीय लेखाधिकारियों/लेखाकारों को आवश्यक अभिलेख/सहयोग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.स. (प्र)